



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932-अप्रैल 29, 2010
Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932-April 29, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 29, 2010

संख्या प. 2 (13) विधि/2/2010:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010
(2010 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्राप्त हुई] विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों और साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं या इकाइयों में पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों और उसके सहबद्ध विज्ञानों की आधुनिक पद्धतियों से समुचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सुनिश्चित करके राजस्थान राज्य में पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों के विकास के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) “संबद्ध महाविद्यालय, संस्था या इकाई” से विनिर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय या कोई संस्था या कोई इकाई, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;
- (ग) “पशु” से सभी पालतू पशु अभिप्रेत हैं और इसमें पक्षी, मछली, वन्य पशु, सरीसृप और मधुमक्खियां सम्मिलित हैं;
- (घ) “पशु प्रौद्योगिकी” से पशुचिकित्सा आयुर्विज्ञान, पशु अभिजनन, पशुधन—उत्पादन और प्रबंध, पशुओं का पोषण, पशुधन के उत्पाद, खाद्य पदार्थ और खाद्य के संबंध में प्रौद्योगिकियां या जैव-प्रौद्योगिकियां अभिप्रेत हैं;
- (ङ) “प्राधिकारी” से इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) “बोर्ड” से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (छ) “अध्ययन बोर्ड” से संकाय स्तर पर शैक्षणिक कार्यकलाप समिति अभिप्रेत है;
- (ज) “कुलाधिपति” से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (झ) “महाविद्यालय”, “संस्था” या “इकाई” से विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के लिए परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों में अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला या अनुसंधान करने के लिए व्यवस्था कराने वाला या विस्तार शिक्षा उपलब्ध कराने वाला, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संधारित, या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था या इकाई अभिप्रेत है;
- (ञ) “नियंत्रक” से विश्वविद्यालय के वित्त-प्रबंध के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय का नियंत्रक अभिप्रेत है;

- (ट) “घटक महाविद्यालय, संस्था या इकाई” से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, प्रबंध या संधारित किया गया कोई महाविद्यालय, संस्था या इकाई अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, इकाई होने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट महाविद्यालय, संस्था या इकाई सम्मिलित है;
- (ठ) “संकाय का संकायाध्यक्ष” से संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ड) “स्नातकोत्तर अध्ययन का संकायाध्यक्ष” से विश्वविद्यालय के सभी संकायों के स्नातकोत्तर कार्यकलापों की देखभाल करने के लिए नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ढ) “महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष” से घटक महाविद्यालय का प्रधान और, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, किसी संबद्ध महाविद्यालय या संस्था या इकाई का प्रधान अभिप्रेत है;
- (ण) “छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष” से छात्र कल्याण, परामर्श और छात्र स्थानन का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (त) “निदेशक” से निदेशक, शिक्षा, निदेशक, अनुसंधान, निदेशक, विस्तार शिक्षा, निदेशक, क्लिनिक और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के ऐसे अन्य निदेशक, जिनका विश्वविद्यालय समय-समय पर सृजन करे, अभिप्रेत है;
- (थ) “विस्तार शिक्षा परिषद्” से विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (द) “विस्तार शिक्षा” से पशुचिकित्साविदों, सह-पशुचिकित्सा कर्मचारिवृन्दों, पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य पालकों और अभिजनकों, पशुओं के स्वामियों और पशु-स्वास्थ्य या कल्याण या उन्नत पशुपालन-पद्धतियों और पशु उत्पादन और विपणन से संबंधित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित अन्य समूहों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत पशुधन फार्मों और फार्म गृहों को नयी प्रौद्योगिकी और नवाचार ले जाने के लिए संप्रदर्शन आता है;
- (ध) “संकाय” से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

- (न) “मत्स्य पालन” से जलीय-जीवजन्तुओं के जीवविज्ञान, वाणिज्यिक दोहन और संरक्षण और साथ ही इनकी पारिपार्श्विक परिस्थितियों, जिसमें पारिपार्श्विक परिस्थितियों के घटक भी सम्मिलित हैं, को समझने की कला और विज्ञान अभिप्रेत है;
- (प) “सरकार” से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (फ) “राज्यपाल” से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ब) “छात्रावास” से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यता प्राप्त निवास का कोई स्थान अभिप्रेत है;
- (भ) “विश्वविद्यालय का अधिकारी” से धारा 23 में यथा विनिर्दिष्ट या परिनियमों में इस रूप में घोषित विश्वविद्यालय का अधिकारी अभिप्रेत है;
- (म) “आर्डिनेन्स” से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया आर्डिनेन्स अभिप्रेत है;
- (य) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (यक) “प्रति-कुलपति” से विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;
- (यख) “कुल-सचिव” से विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;
- (यग) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (यघ) “अनुसंधान परिषद्” से विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;
- (यङ) “अनुसूची” से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यच) “परिनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियम अभिप्रेत हैं;
- (यछ) “छात्र” से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी घटक या संबद्ध महाविद्यालय या संस्था या इकाई में प्रविष्ट और नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (यज) “अध्यापक” से शिक्षा देने या अनुसंधान या विस्तार शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने और उनमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय या संस्था या इकाई द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त, किसी भी रैंक द्वारा जाना जाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (यझ) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (यञ) “विश्वविद्यालय अध्यापक” से शिक्षा देने या अनुसंधान या विस्तार शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने या उनमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त सहायक आचार्य की रैंक से अनिम्न का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (यट) “पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान” के अन्तर्गत पशुचिकित्सा, पशु विज्ञानों और कुक्कुट पालन सहित पशुपालन और उससे सहबद्ध विज्ञान, जैसे कि मत्स्य पालन विज्ञान, जंतु-जगत विज्ञान, जीव-जन्तु संबंधी विज्ञान, वन्य पशु, रेशम कीट, मधुमक्खियां इत्यादि जिनमें उनके प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, उत्पादन और संरक्षण, डेयरी विज्ञान और पशुधन खाद्य प्रौद्योगिकी, पशु घटक से संबंधित कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, पशु व्यापार प्रबंध, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों से संबंधित आधारभूत विज्ञान और मानविकी सम्मिलित हैं, और पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों से संबंधित माना जाने वाला कोई भी अन्य विषय आता है;
- (यठ) “भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्” से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन गठित भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है; और
- (यड) “कुलपति” से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

अध्याय 2 विश्वविद्यालय

3. **विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.**—(1) राजस्थान राज्य में राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति-कुलपति, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तार शिक्षा परिषद् और इस अधिनियम या परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों से मिलकर बनेगा।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उसके नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित करने और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं भी अन्य स्रोतों से धन उधार लेने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संविदा करने और आवश्यक अन्य समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध किये जाने वाले सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और तामील की जायेंगी।

(6) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर में होगा।

4. **अधिकारिता.**—(1) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगी।

(2) विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे सभी महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र और अन्य संस्थाएं या इकाइयां विश्वविद्यालय के पूर्ण प्रबंध और नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की संघटक इकाइयां होंगी।

(3) विश्वविद्यालय, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए देश के भीतर की या बाहर की किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी एजेन्सी, सोसाइटी, न्यास, निकाय से सहयोग या समझौता ज्ञापन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए निधि प्रदान और प्राप्त कर सकेगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों में अध्ययन की भिन्न-भिन्न शाखाओं में गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा देने के लिए उपबंध करना;
- (ii) विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान के संचालन को अग्रसर करना;
- (iii) विस्तार शिक्षा को उपक्रमित करना;
- (iv) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ भागीदारी और संबंध संप्रवर्तित करना;
- (v) राज्य में के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास, पशु प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कार्यरत संबंधित विभागों, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाये, जो राजस्थान सरकार और साथ ही केन्द्र सरकार से शासित हों, के साथ संपर्क और सुदृढ़ संबंध स्थापित करना;
- (vi) नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत रहने की दृष्टि से पशुचिकित्सा, पशु, डेयरी और मत्स्य विज्ञानों और पशु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क रखना; और
- (vii) ऐसे अन्य उद्देश्य जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.—(1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

- (क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तर नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या
- (ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, बनाये रखना; या
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या बनाये रखना; या
- (घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देना,

अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों और महिला छात्रों के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) स्ववित्तपोषण रीति को सम्मिलित करते हुए पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए व्यवस्था करना;
- (ख) विस्तार शिक्षा के माध्यम से, अनुसंधान और तकनीकी सूचना के निष्कर्षों के प्रसार के लिए व्यवस्था करना;
- (ग) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों में उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित करना;
- (घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने विश्वविद्यालय में किसी विहित पाठ्यक्रम या अनुसंधान या दोनों में, जिसमें इस

- प्रयोजन के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में चलाये जाने वाले पार्ट पाठ्यक्रम या अनुसंधान या दोनों सम्मिलित हैं, अध्ययन किया है या अर्हित हैं, पाठ्यक्रम संस्थित करना और परीक्षाएं लेना तथा उपाधियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
- (ङ) मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, प्रदान करना;
- (च) क्षेत्र कार्यकर्ताओं, पशुधन पालकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय में नियमित छात्रों के रूप में नामांकित नहीं हैं, व्याख्यान, प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था करना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और लोक या निजी अनुसंधान और विकास संगठनों या संस्थाओं के साथ शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग करना;
- (ज) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र और कोई अन्य संस्थाएं स्थापित करना, चलाना और उनका रखरखाव करना;
- (झ) विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों, संस्थाओं, या इकाइयों को विहित शर्तों के अधीन संबद्ध करना और महाविद्यालयों, संस्थाओं, या इकाइयों से संबद्धता वापस लेना;
- (ञ) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुसंधान केन्द्र और संस्थाएं और संग्रहालय स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;
- (ट) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा पदों को संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ठ) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ड) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, वजीफे, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

- (ढ) छात्रावास स्थापित करना और उनका रखरखाव करना, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये छात्रावासों को मान्यता प्रदान करना और उनसे मान्यता वापस लेना;
- (ण) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान स्थापित करना और उनका रखरखाव करना;
- (त) ऐसी फीसों और अन्य प्रभार, जो विहित किये जायें, नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;
- (थ) विश्वविद्यालयों के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए व्यवस्था करना; और
- (द) ऐसे सभी कृत्य और बातें करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों और कृत्यों से आनुषंगिक हों या न हों।

8. कुलाधिपति.—(1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा या होगी।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा/सकेगी और उसका परीक्षण कर सकेगा/सकेगी; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा/सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर

किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

9. निरीक्षण.—(1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,—

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत समय सीमा के भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, ऐसे निदेशों का पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को ऐसे निदेशों का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हों।

(8) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य ऐसी परिषदें या निकाय, जिनमें ऐसे निकाय भी सम्मिलित होंगे, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् इत्यादि को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो वे निदिष्ट करें, विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय की किसी भी संघटक या संबद्ध इकाई का निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा और वे विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय पर उसी प्रकार से की जाने वाली जांच करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित ऐसी सूचना देगा जैसी उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(9) कुलपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं या इकाइयों, उनके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय की किसी संघटक या संबद्ध इकाई का निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा और विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की उसी रीति से जांच करवा सकेगा।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (i) प्रबंध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) संकाय;
- (iv) अध्ययन बोर्ड;
- (v) अनुसंधान परिषद्;
- (vi) विस्तार शिक्षा परिषद्;
- (vii) योजना बोर्ड;
- (viii) वित्त समिति; और
- (ix) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये ।

11. प्रबंध बोर्ड.—(1) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति की नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रबंध बोर्ड का गठन करेगा।

(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

वर्ग I : पदेन सदस्य

- (क) कुलपति—अध्यक्ष;
- (ख) प्रभारी शासन सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग;
- (ग) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;
- (घ) प्रबंध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ;
- (ङ) निदेशक, पशुपालन;
- (च) निदेशक, मत्स्य;
- (छ) कुल—सचिव;

वर्ग II : अन्य सदस्य

- (ज) पशुचिकित्सा और पशुविज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान, अध्यापन और विस्तार शिक्षा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित (आचार्य की रैंक से अनिम्न) दो वैज्ञानिक;

- (झ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक पशुधन पालक;
- (ञ) पशुपालन, डेयरी या मत्स्यपालन से संबंधित उद्योगों का, सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि;
- (ट) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता;
- (ठ) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् का एक नामनिर्देशिती;
- (ड) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों के क्षेत्र का, विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला, एक विख्यात शिक्षाविद्;
- (ढ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक अधिकारी;
- (ण) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;और
- (त) सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजस्थान विधान सभा का एक सदस्य।

स्पष्टीकरण:—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य यदि किसी कारण से बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके विभाग के शासन उप सचिव से अनिम्न की रैंक के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा/कर सकेगी।

(4) उप-धारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्य यदि किसी कारण से, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए खण्ड आयुक्त, बीकानेर को प्रतिनियुक्त कर सकेगा/कर सकेगी।

(5) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(6) बोर्ड के सदस्य, ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों के सिवाय, जो विहित किये जायें, विश्वविद्यालय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी सदस्य को उसकी ऐसी सामान्य परिलब्धियां आहरित करने से नहीं रोकेगी, जिनका/जिनकी वह उस अन्य पद जिसे वह धारण करता/करती है, के आधार पर हकदार है।

12. बोर्ड की शक्तियां-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और विश्वविद्यालय की संपत्तियों और क्रियाकलापों का प्रबंध और पर्यवेक्षण करेगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न किये गये विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (क) परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करना और पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को अनुमोदित करना;
- (ग) विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों के प्रशासन के लिए व्यवस्था करना;
- (घ) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान और प्रत्याहरण का प्रबन्ध करना;
- (ङ) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रत्याभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना और इसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (च) विश्वविद्यालय की संपत्तियों को धारण करना, नियंत्रित करना और उनका प्रशासन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना, अभिरक्षा की व्यवस्था करना और उपयोग को विनियमित करना;
- (ज) ऐसी स्थायी या अस्थायी समितियों की नियुक्ति करना, जो वह आवश्यक समझे, और इस अधिनियम और परिनियमों

- के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उनके निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट करना;
- (झ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त नीतिगत प्रश्नों को अवधारित और विनियमित करना;
- (ञ) ज्ञान की ऐसी शाखाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किये जायें, शिक्षा देने, अध्यापन, अनुसंधान, ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए वित्तीय व्यवस्था करना;
- (ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए महाविद्यालयों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, प्रायोगिक और संस्थागत पशुधन फार्मों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संस्थापन और रखरखाव के लिए व्यवस्था करना;
- (ठ) उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित और प्रदान करने के लिए उपबंध करना;
- (ड) छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, वजीफे, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करने, बनाये रखने और प्रदान करने के लिए उपबंध करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, संदान और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण स्वीकार करना;
- (ण) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा या समझौता ज्ञापन करना;
- (त) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के पद सृजित करना; और
- (थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों से असंगत न हों और जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

13. बोर्ड की बैठकें.—(1) बोर्ड की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर होगी, और उप-धारा (2) और (3) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते

हुए, बैठकों की गणपूर्ति सहित, वह अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें:

परन्तु बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बोर्ड की किसी भी बैठक में समस्त प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में कुलपति या, यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(4) (क) बोर्ड, विचाराधीन किसी भी विषय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को परामर्श के प्रयोजनों के लिए, किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसी बैठक में बोल सकेगा, और बैठक की कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले सकेगा किन्तु वह मतदान का हकदार नहीं होगा।

(ख) इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड के किसी भी सदस्य को अनुज्ञात हों।

14. विद्या परिषद्.— विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्राधिकारी होगी और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उसके पास विश्वविद्यालय में अध्यापन और परीक्षा का नियंत्रण और सामान्य विनियमन रहेगा और इनके मानकों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

15. विद्या परिषद् का गठन.—(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

वर्ग I—पदेन सदस्य

(क) कुलपति;

(ख) प्रभारी शासन सचिव, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग;

(ग) प्रबंध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ;

(घ) निदेशक, पशुपालन;

(ङ) निदेशक, मत्स्य;

(च) प्रत्येक महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष;

- (छ) प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष;
- (ज) निदेशक, अनुसंधान;
- (झ) निदेशक, क्लिनिक;
- (ञ) निदेशक, विस्तार शिक्षा;
- (ट) परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य निदेशक;
- (ठ) कुल-सचिव;

वर्ग II-अन्य सदस्य

- (ड) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम आधार पर विभागाध्यक्षों में से नामनिर्देशित किये जाने वाले दस सदस्य; और
- (ढ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों के विभिन्न पहलुओं का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और कोई प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) विद्या परिषद् के सदस्य, ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों के सिवाय, जो विहित किये जायें, विश्वविद्यालय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी सदस्य को उसकी ऐसी सामान्य परिलब्धियां आहरित करने से नहीं रोकेगी जिनका वह उस अन्य पद, जिसे वह धारण करता है या करती है, के आधार पर हकदार है।

16. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य.—विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) अध्यापन और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर सामान्य नियंत्रण करना और इनके मानकों को बनाये रखना और उनका उन्नयन करना;
- (ख) विनियम बनाना, उनको संशोधित या निरसित करना;

- (ग) आर्डिनेन्स बनाने, संशोधित या निरसित करने के लिए बोर्ड को प्रारूप प्रस्तावित करना;
- (घ) पुस्तकालयों के नियंत्रण और प्रबंध को सम्मिलित करते हुए सभी शैक्षणिक विषयों पर बोर्ड को सलाह देना;
- (ङ) आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के पदों को संस्थित करने के लिए और इनके कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
- (च) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के विभागों के गठन या पुनर्गठन के लिए स्कीमें बनाना, उपांतरित करना या पुनरीक्षित करना;
- (छ) स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ज) विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के पदों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
- (झ) मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना; और
- (ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकाय.—(1) विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, और ऐसे अन्य संकाय सम्मिलित होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्ययन के विषयों के ऐसे समनुदेशन सहित अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जो उस विभाग के समुचित संगठन और उस विभाग के कार्यकरण के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) संकायों का गठन और कृत्य, अन्य सभी बातों में, ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

18. अध्ययन बोर्ड.—(1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना हुआ एक अध्ययन बोर्ड होगा:—

- (i) संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष;
- (ii) संकाय के घटक और संबद्ध महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;
- (iii) संबद्ध पशुपालन डिप्लोमा संस्थाओं के चार प्राचार्य;
- (iv) संबंधित संकाय के पाठ्यक्रमों की समितियों के संयोजकों सहित, पाठ्यक्रमों की समितियों के समस्त विभागाध्यक्ष-सह-अध्यक्ष;
- (v) संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विभाग से नामनिर्देशित एक वरिष्ठ संकाय सदस्य; और
- (vi) संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित और विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित, दो वर्ष की अवधि के लिए दो बाहरी विशेषज्ञ।

(2) वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(3) अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

- (i) अध्यापन कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और उनके सुधार के लिए सुझाव देना;
- (ii) पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या समिति या विभाग या संकाय के वैसे ही निकाय की सिफारिशों पर विचार करना;
- (iii) अध्ययन बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों को विद्या परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना; और
- (iv) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे विद्या परिषद् या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें।

19. अनुसंधान परिषद्.—(1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक अनुसंधान परिषद् होगी, अर्थात्:—

- (i) कुलपति-अध्यक्ष;
- (ii) प्रबंध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ;
- (iii) निदेशक, पशुपालन;
- (iv) निदेशक, मत्स्य;

- (v) निदेशक, विस्तार शिक्षा;
 - (vi) घटक महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;
 - (vii) विश्वविद्यालय के समस्त निदेशक;
 - (viii) सभी विभागाध्यक्ष;
 - (ix) पशुधन अनुसंधान केन्द्रों के सभी प्रभारी, उन्हें जिस किसी भी नाम से संबोधित किया जाये;
 - (x) अनुसंधान स्कीमों और परियोजनाओं के सभी प्रमुख अन्वेषक, उन्हें जिस किसी भी नाम से संबोधित किया जाये; और
 - (xi) अनुसंधान परिषद्, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञानों और सहबद्ध क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, दो प्रगतिवादी पशुधन और मत्स्यपालकों को सम्मिलित करते हुए, चार से अनधिक व्यक्तियों को ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगी।
- (2) अनुसंधान निदेशक, अनुसंधान परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- (3) अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित पर विचार करेगी और उनके संबंध में सिफारिश करेगी—
- (i) पशु चिकित्सा और पशुविज्ञानों के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा जिम्मे लिये गये या जिम्मे लिये जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम और परियोजनाएं और उनको मानीटर करना और उनका मूल्यांकन करना;
 - (ii) अनुसंधान परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित भौतिक, राजवित्तीय और प्रशासनिक सुविधाएं;
 - (iii) कृषकों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान को दिशा देना;
 - (iv) अनुसंधान में लोक-निजी सहभागिता का पोषण करना और उनमें समन्वय स्थापित करना; और

- (v) अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित कोई भी अन्य विषय जो कुलपति या बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

20. विस्तार शिक्षा परिषद्-(1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी हुई एक विस्तार शिक्षा परिषद् होगी, अर्थात्:-

- (i) कुलपति-अध्यक्ष;
- (ii) प्रबंध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ;
- (iii) निदेशक, पशुपालन;
- (iv) निदेशक, मत्स्य;
- (v) घटक महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष;
- (vi) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक;
- (vii) सभी विभागाध्यक्ष;
- (viii) पशुधन अनुसंधान केन्द्रों के समस्त प्रभारी, उन्हें जिस किसी नाम से संबोधित किया जाये;
- (ix) कृषि विज्ञान केन्द्र और पशु विज्ञान केन्द्र के समस्त प्रभारी, विस्तार केन्द्रों, स्कीमों और परियोजनाओं के समस्त प्रभारी, उन्हें जिस किसी नाम से संबोधित किया जाये;
- (x) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विस्तार शिक्षा के क्षेत्र के, बाहर से दो विख्यात व्यक्ति;
- (xi) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्रगतिवादी पशुधन या मत्स्य पालक; और
- (xii) कुलपति, संबंधित संगठनों से दो सदस्यों तक सहयोजित कर सकेगा।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा, विस्तार शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(3) विस्तार शिक्षा परिषद् निम्नलिखित पर विचार करेगी और उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी-

- (i) विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा कार्यक्रम और परियोजनाएं;
- (ii) विस्तार शिक्षा क्रियाकलापों का समन्वय;

- (iii) कृषक-शिक्षा और प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं का विकास;
- (iv) कृषि विज्ञान केन्द्र या क्षेत्र परीक्षण केन्द्र या ऐसे विस्तार केन्द्रों चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाने जाये, के कृत्यकरण का मूल्यांकन; और
- (v) कोई भी अन्य विषय जो इसे कुलपति, बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

21. योजना बोर्ड.—(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो सामान्यतया विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर सलाह देगा और विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान के मानक का पुनर्विलोकन करता रहेगा।

(2) योजना बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

- (i) कुलपति, जो योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा; और
- (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त आठ से अनधिक व्यक्ति।

(3) योजना बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(4) योजना बोर्ड को, इस अधिनियम द्वारा इसमें निहित की गयी समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, और विस्तार शिक्षा परिषद् को किसी भी शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार के मामले में सलाह देने का अधिकार होगा।

22. वित्त समिति.—(1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक वित्त समिति होगी, अर्थात्:—

- (क) कुलपति-अध्यक्ष;
- (ख) प्रभारी शासन सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग;
- (ग) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;
- (घ) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य; और
- (ङ) नियंत्रक।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है

और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य यदि किसी कारण से बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके विभाग के किसी शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा या कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्य, किसी कारण से, वित्त समिति की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ होने के मामले में वह खण्ड आयुक्त, बीकानेर को स्वयं के प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा या कर सकेगी।

(4) वित्त समिति—

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों का परीक्षण करेगी और उन पर बोर्ड को सलाह देगी;

(ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगी;

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर, जिसमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों में कोई उपबंध नहीं किया गया हो या जिसमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो जो वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों में उपबंधित रकम से अधिक हो, बोर्ड को सिफारिश करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित सभी विषयों पर बोर्ड को सिफारिश करेगी; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

23. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) प्रति-कुलपति;

- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) नियंत्रक;
- (v) संकायाध्यक्ष;
- (vi) निदेशक, अनुसंधान;
- (vii) निदेशक, क्लिनिक ;
- (viii) निदेशक, विस्तार शिक्षा; और
- (ix) ऐसे अन्य निदेशक, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

24. **कुलपति.**—(1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसकी नियुक्ति उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विचयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पशुपालन और पशु विज्ञान में विख्यात शिक्षाशास्त्रियों के पैनल में से राज्य सरकार की सलाह से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और ऐसे पैनल में उक्त समिति के किसी भी सदस्य का नाम अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए विचयन समिति में चार व्यक्ति होंगे जिनमें एक व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, एक व्यक्ति बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, एक व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा और एक व्यक्ति सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा:

परन्तु कुलाधिपति द्वारा इन सदस्यों में से एक सदस्य को संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया जायेगा और विचयन समिति के समस्त सदस्यों के पास भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथा उपबंधित आधारभूत पशुचिकित्सा अर्हता होनी चाहिए:

परन्तु यह और कि इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के सदस्य नहीं होंगे।

(3) कोई व्यक्ति जिसने शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की है और पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व के गुण प्रदर्शित किये हैं, और जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं रखता है, कुलपति के पद के लिए पात्र होगा:—

- (क) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथापरिभाषित मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता रखता हो;

(ख) देश के किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र इत्यादि की पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान में अध्यापन या अनुसंधान या विस्तार प्रणाली में आचार्य के या उसके समतुल्य पद पर न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव रखता हो, जिसमें से कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव देश में के किसी विश्वविद्यालय में संकाय के अध्यक्ष या संकायाध्यक्ष या किसी महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या प्राचार्य का होना चाहिए।

(4) कुलपति तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा किन्तु तत्पश्चात् वह कुलपति के पद को धारित करने के लिए पात्र नहीं होगा या नहीं होगी:

परन्तु—

(क) कुलाधिपति, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गयी है, एक वर्ष की कुल कालावधि से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद पर बना रहेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये; और

(ख) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा एक मास का नोटिस देने के पश्चात् अपने पद का त्याग कर सकेगा/सकेगी।

परन्तु यह और कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि, अपनी पदावधि के दौरान या उसके किसी विस्तार के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या कर लेती है तो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा/हो जायेगी।

(5) कुलपति को, कदाचार या असमर्थता के आधार पर या यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, सम्यक् जांच के पश्चात्, जिसमें कुलपति को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर प्राप्त होगा, कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश के सिवाय पद से नहीं हटाया जायेगा।

(6) जहां कुलपति के पद की उसकी मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने या पदावधि की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य आधार पर स्थायी रूप से रिक्त हो जाये वहां वह कुलाधिपति द्वारा उप-धारा (1) में

विनिर्दिष्ट रीति से भरा जायेगा और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरा जाता तब तक के लिए उप-धारा (7) के अधीन और अनुसार कुलाधिपति द्वारा स्टाप गैप व्यवस्था की जा सकेगी।

(7) बीमारी, अनुपस्थिति, निलंबन या किसी अन्य कारण से कुलपति के पद की अस्थायी रिक्ति के मामले में, या जब उप-धारा (6) के अधीन स्टाप गैप व्यवस्था आवश्यक हो तब कुलाधिपति, सरकार की सलाह से, कुलपति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(8) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी और उसकी परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी:-

- (i) कुलपति ऐसे वेतन का हकदार होगा/होगी जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये;
- (ii) कुलपति सुसज्जित निःशुल्क अधिकृत निवास का हकदार होगा/होगी; और
- (iii) कुलपति ऐसी सेवांत प्रसुविधाओं और भत्तों का हकदार होगा/होगी जो कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत या मंजूर किये जायें या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(9) कुलपति के अधिकृत आवास का रखरखाव विश्वविद्यालय की निधियों से किया जायेगा।

(10) जहां कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियुक्त था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी, और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में अंशदान करेगा।

(11) जहां कुलपति अपने पूर्व के नियोजन में किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य था, विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(12) कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें।

- (13) कुलपति निम्नलिखित के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा:-
(क) सक्रिय सेवा के प्रत्येक ग्यारह दिवस के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन छुट्टी; और
(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्द्धवेतन छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर अर्द्धवेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी के रूप में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(14) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (3) से (13) तक के उपबंध इस उप-धारा के अधीन की गयी नियुक्ति पर लागू होंगे।

25. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा। वह बोर्ड, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा/होगी और विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा/होगी किन्तु वह उसमें मतदान करने का हकदार तब तक नहीं होगा /होगी जब तक कि वह उस संबंधित प्राधिकारी का/की सदस्य न हो।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलायेगा।

(4) कुलपति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का पालन और कार्यान्वयन किया जाये और वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा या कर सकेगी।

(5) कुलपति को किसी भी मामले में कार्रवाई करने की शक्ति होगी और वह आदेश द्वारा ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, किन्तु तत्पश्चात् कार्रवाई की रिपोर्ट यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी,

प्राधिकारी या निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्यतः कार्रवाई करता:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि संभावित रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(6) उप-धारा (5) के अधीन कुलपति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी तारीख से, जिसको उसे ऐसा आदेश संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और कुलपति ऐसी अपील पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश को लागू करेगा।

(7) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा और पाठ्यचर्या विकास के समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

26. **प्रति-कुलपति.**—विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. **कुल-सचिव.**—(1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा या करेगी।

(2) कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (चयनित वेतनमान से अनिम्न) या भारतीय प्रशासनिक सेवा के इसके अधिकारियों में से की जायेगी:

परन्तु बोर्ड को, इस उप-धारा के अधीन पदस्थापित किसी अधिकारी को लेखबद्ध कारणों से कार्यमुक्त करने का और राज्य सरकार से किसी और अधिकारी को पदस्थापित करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा।

(3) कुल-सचिव तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और आगे तीन वर्ष की कालावधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु कुल-सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति, यदि अपनी पदावधि के दौरान अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर लेता है या कर लेती है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा या हो जायेगी।

(4) कुल-सचिव की परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो परिनियमों में विहित की जायें।

(5) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो, या जब कुल-सचिव बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो कुल-सचिव के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।

(6) कुल-सचिव बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(7) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह:-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्ड, परीक्षा बोर्ड और योजना बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा;

(8)(i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने, या यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा।

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा

इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(9) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा निदेशित या बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें।

28. **नियंत्रक.**—(1) नियंत्रक, सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के चयनित वेतनमान और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों में से पदस्थापित विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा:

परन्तु बोर्ड, लेखबद्ध कारणों से नियंत्रक को किसी भी समय कार्यमुक्त कर सकेगा और सरकार से दूसरे अधिकारी को पदस्थापित करने का निवेदन कर सकेगा।

(2) नियंत्रक तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, यदि अपनी पदावधि के दौरान अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेता है या कर लेती है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा या हो जायेगी।

(3) नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(4) जब नियंत्रक का पद रिक्त हो, या जब नियंत्रक बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो नियंत्रक के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।

(5) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(6) नियंत्रक—

- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;
- (ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करना; और
- (ग) ऐसी अन्य शक्तियों और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

(7) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक,—

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;
- (ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;
- (घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टाक की जांच की जाती है;

(च) अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा या करेगी जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

29. **संकायाध्यक्ष.**—(1) प्रत्येक घटक महाविद्यालय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, नियुक्त विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक संकाय का, उसके अध्यक्ष के रूप में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो वरिष्ठता के आधार पर उस संकाय के समस्त संकायाध्यक्षों में से पदाभिहित किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर अध्ययन का एक संकायाध्यक्ष और ऐसे अन्य संकायाध्यक्ष, जो परिनियमों में विहित किये जायें, भी नियुक्त कर सकेगा।

(4) संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

30. **निदेशक.**—(1) परिनियमों के अनुसार निदेशक अनुसंधान, निदेशक क्लीनिक, निदेशक विस्तार शिक्षा और अन्य निदेशक ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे।

(2) निदेशक अनुसंधान, निदेशक क्लीनिक, निदेशक विस्तार शिक्षा और ऐसे अन्य निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय 5

शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा संगठन

31. **पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा.**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षा में, पशुचिकित्सा

और पशु विज्ञान और यथा विहित सहबद्ध विज्ञानों की शाखाओं में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की उपाधि कार्यक्रम और अल्प-अवधि डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

(2) शैक्षिक कार्यक्रमों में राज्य की और राष्ट्रीय नीतियों के साथ अनुरूपता रखी जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय, ई-लर्निंग, वितरित या दूरस्थ शिक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-सुलभ किये हुए ज्ञान को बांटना इत्यादि के लिए पहल करेगा।

(4) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य सक्षम और कुशल वृत्तिक तैयार करना होना चाहिए।

(5) विश्वविद्यालय, जारी पशुचिकित्सा शिक्षा के लिए पहल करेगा और पशुचिकित्साविदों और सह पशुचिकित्साविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेगा।

32. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान अनुसंधान संगठन.—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय पशुपालन और मत्स्य पालन के विकास में अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए प्राथमिक रूप में पशुचिकित्सा, पशुपालन, मत्स्य पालन, और सहबद्ध विषयों से संबंधित समस्याओं पर आधारभूत अनुसंधान करने के लिए पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगा और इस प्रयोजन के लिए पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और सरकार के नियंत्रणाधीन अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से इतने पशुचिकित्सा, पशुधन और मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करेगा, जितने आवश्यक हों।

(2) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान अनुसंधान संगठन को निदेशक, अनुसंधान के मार्गदर्शन में विकसित किया जायेगा।

33. पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विस्तार शिक्षा संगठन.—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विस्तार शिक्षा संगठन स्थापित करेगा जो अनुसंधान के आधार पर प्राप्त सूचना को छात्रों, विस्तार कार्यकर्ताओं, पशुधन पालकों, मत्स्य पालकों और मछुआरों को उपलब्ध करायेगा और

ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिए संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विस्तार के ऐसे क्रियाकलाप हाथ में लेगा जैसे कि—

- (क) ग्रामीण जीवन की दशाओं को सुधारने के लिए आवश्यक उन्नत पद्धतियों पर अनुसंधान के निष्कर्षों और विकास के बारे में पशुपालकों, मत्स्यपालकों और मछुआरों को सूचित करने और प्रदर्शन करने;
- (ख) खाद्य उत्पादन और उपयोग पर विशेष बल देते हुए पशु उत्पादन बढ़ाने;
- (ग) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान अनुसंधान संगठनों द्वारा विकसित की गयी नयी नस्लों और उन्नत स्ट्रेन में वृद्धि करने; और
- (घ) क्षेत्र के पशुचिकित्साविदों को क्लिनिकल विषयों के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी से सूचित करने और उनका प्रदर्शन करने और साथ ही छात्रों को पशुधन के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए पशुचिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने, के लिए आवश्यक हों।

(3) पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विस्तार संगठन को निदेशक, विस्तार शिक्षा के मार्गदर्शन में विकसित किया जायेगा।

34. अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार का एकीकरण.—(1) विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के परामर्श से कुलपति ऐसे कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होगा जो विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार क्रियाकलापों के पूर्ण एकीकरण के लिए आवश्यक हों।

(2) अध्यापन संवर्ग पर रखा गया प्रत्येक संकाय सदस्य शैक्षणिक वर्ष में अध्यापन के अतिरिक्त तीस प्रतिशत से अनधिक या विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के परामर्श से कुलपति द्वारा यथाविनिश्चित कुछ समय अनुसंधान या विस्तार या दोनों को हाथ में लेने के लिए अर्पित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय में अवस्थित समस्त अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार कर्मचारिवृन्द विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

(4) विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम को राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए विकसित करेगा और सरकार और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को समुचित प्रौद्योगिक सम्बल प्रदान करेगा।

अध्याय 6

निधियां, लेखे और लेखापरीक्षा

35. सामान्य निधि.—विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे:—

- (क) फीसों, विन्यास, अनुदान, संदान और दान, यदि कोई हों, से इसकी आय;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इसी प्रकार के प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; और अन्य प्राप्तियां।

36. अन्य निधियां.—(1) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय को अपनी ऐसी निधियों, जो छात्रों की फीस और ऐसी अन्य आय जिसे विश्वविद्यालय लेखों में जमा कराना आवश्यक नहीं हो, से प्रोद्भूत हुई हो, को महाविद्यालय निधि के रूप में रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। संकायाध्यक्ष इन निधियों को महाविद्यालय के विकास, छात्र और कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं और अध्यापन, अनुसंधान, विस्तार और सहपाठ्यचर्या सहित अन्य क्रियाकलापों के लिए उपयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा।

37. निधियों का प्रबंध.—विश्वविद्यालय की सभी निधियों और धन का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

38. राज्य सरकार का नियन्त्रण.—जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ,

निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.-उपर्युक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनमें राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

39. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.-यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी

करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

40. **वार्षिक लेखे.**—(1) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे ऐसे परीक्षण और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे जैसा सरकार निदेश दे और वार्षिक लेखों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय, लेखापरीक्षा में उठाये गये आक्षेपों का निराकरण करेगा और ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर जारी किये जायें।

(3) सरकार, वार्षिक लेखों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उसकी टिप्पणियों के साथ राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(4) नियंत्रक, उस तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(5) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड की वार्षिक बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

41. **भविष्य निधि, पेंशन और बीमा.**—(1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, भविष्य निधि या पेंशन निधि सृजित करेगा या बीमा स्कीम बनायेगा।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबंध किसी निधि या बीमा योजना पर इस प्रकार लागू होंगे मानो कि वह सरकारी निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या निवेश करेगा।

(3) जहां सरकारी नियोजन में के किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है, वहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधि और स्कीम से संबंधित निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जिन पर सरकार और विश्वविद्यालय के बीच सहमति हो।

अध्याय 7

परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम

42. **परिनियम.**—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक जीवन सुधारने के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य प्राधिकारी या समितियों के सृजन, संरचना या कृत्य;
- (घ) अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य, कर्तव्य और सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, अर्हता और सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय के संकायों, खण्डों, विभागों, अनुसंधान स्टेशनों, केन्द्रों या अन्य इकाइयों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन या समाप्ति;
- (छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और बीमा स्कीमों की स्थापना;
- (ज) उपलब्धियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;
- (झ) मानद उपाधियां और विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना और वापस लेना;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों की सेवा की शर्तें, पारितोषिक और संदत्त किये जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों सहित भत्ते;

- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संधारित महाविद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, विभागों, क्षेत्रीय स्टेशनों या अन्य संस्थाओं का प्रबंध;
- (ठ) अध्यापकों और अध्यापकों से भिन्न कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिये चयन समिति का गठन;
- (ड) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, वजीफे, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और उन्हें प्रदान करने की शर्तें;
- (ढ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले में जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी; और
- (ण) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो आर्डिनेन्सों या विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

43. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.—(1) परिनियम, इसमें आगे उपबंधित रीति से बोर्ड द्वारा बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश

को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

44. **आर्डिनेन्स**—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ख) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन और इस रूप में उनके बने रहने तथा छात्रों के नामांकन को समाप्त करने की शर्तें और प्रक्रिया;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (घ) समस्त उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान किये जाने की उनकी पात्रता;
- (च) उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;
- (ज) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, जो महिला छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए की जायें;
- (झ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास करने के लिए फीस का उद्ग्रहण;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये छात्रावासों की मान्यता और प्रबंध; और
- (ट) कोई भी अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों द्वारा या उनके अधीन कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो।

45. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.—(1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, बोर्ड को उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा या करेगी। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या सकेगी या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा या सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

46. विनियम.—(1) इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्स के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी:—

- (क) अपनी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;
- (ख) ऐसे समस्त मामले, जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्स के द्वारा, उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं, के लिए उपबंध करने; और
- (ग) ऐसा कोई भी अन्य मामला, जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और

परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो, के लिए उपबंध करने, के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों की और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

47. प्रथम कुलपति की अंतःकालीन शक्तियां।—(1) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् और इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास या एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अधिक कालावधि के भीतर-भीतर, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुज्ञात करे, व्यवस्था करे।

(2) प्रथम कुलपति, सरकार के परामर्श से ऐसे नियम बनायेगा जो विश्वविद्यालय के कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(3) उप-धारा (1) के अधीन गठित प्राधिकारी ऐसी तारीख या तारीखों से अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन प्रारंभ करेंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह कुलाधिपति के अनुमोदन से ऐसे परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाये जो आवश्यक हों और उन पर कार्यवाही करने में सक्षम संबंधित प्राधिकारियों को उनके निपटारे हेतु प्रस्तुत करे। ऐसे परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम, विरचित किये जाने पर राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(5) इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे समय तक, जब तक कि कोई प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित नहीं कर दिया जाये, प्रथम कुलपति इस

अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी की शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रयोग और पालन करने के लिए अस्थायी रूप से किसी अधिकारी को नियुक्त या कोई समिति गठित कर सकेगा।

48. **अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और संपत्तियों के स्थानान्तरण की शक्ति.**—कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी भी समय अन्य विश्वविद्यालय से, जिसका कि वह कुलाधिपति है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो आदेश में अवधारित की जायें, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में:—

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के; या
- (ख) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किन्हीं भी अधिकारों या हितों के; या
- (ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अभिदाय, संदान, सहायता या उपकृति के; या
- (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष में या विरुद्ध उपगत या विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किन्हीं भी शोध्यों, दायित्वों या बाध्यताओं के; या
- (ङ) किसी भी वसीयत, दान या न्यास को अन्तर्विष्ट करने वाले किसी भी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज के,

स्थानान्तरण के लिए ऐसे आदेश करेगा जो आवश्यक समझे जायें।

49. **महाविद्यालयों, संस्थाओं और इकाइयों के अन्तरण की शक्ति.**—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी महाविद्यालय, संस्थाएं, छात्रावास, कार्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र और कोई भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भी समय सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि सरकार द्वारा अवधारित की जायें, राज्य में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से असम्बद्ध या, यथास्थिति, अन्तरित की जा सकेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय से संबद्ध, उसे अन्तरित या उसमें निहित की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संबद्ध या अन्तरित किसी भी महाविद्यालय, संस्था, छात्रावास, कार्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र और किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई का नियन्त्रण और प्रबन्ध उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय में इस प्रकार अन्तरित महाविद्यालय या संस्थाओं के छात्रों या अनुसंधान केन्द्र या विस्तार केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई में लगे हुए व्यक्तियों को अपना पाठ्यक्रम, अनुसंधान या कार्यक्रम पूरा करने दिया जायेगा और विश्वविद्यालय उसके लिए व्यवस्थाएं करेगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी महाविद्यालय, संस्था, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र या किसी भी अन्य निकाय, एजेन्सी या इकाई में अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय का अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझा जायेगा।

50. **कतिपय महाविद्यालयों, संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों, विस्तार केन्द्रों और इकाइयों का अन्तरण.**—धारा 48 और 49 और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में अंतर्विष्ट महाविद्यालय, संस्थाएं, अनुसंधान केन्द्र, विस्तार केन्द्र और इकाइयां उनकी समस्त जंगम या स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्तियों में निहित अधिकार और हित इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को और से, इस अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालय में अंतरित और निहित हो जायेंगे और उक्त महाविद्यालयों, संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों, विस्तार केन्द्रों और इकाइयों में पदस्थापित और कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और सेवक ऐसे प्रारंभ की तारीख से उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी या, यथास्थिति, सेवक हो जायेंगे।

51. **सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.**—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, लिखित आदेश द्वारा किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो सरकार को एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर देगा:

परन्तु ऐसी किसी सूचना के मामले में, जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय समझता हो, ऐसी सूचना को विश्वविद्यालय कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

52. **वार्षिक प्रतिवेदन.**—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा और इसे बोर्ड को उसकी बैठक, जिसमें इस पर विचार किया जाना है, से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) बोर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त होने पर सरकार ऐसी रिपोर्ट को उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

53. **अन्य प्राधिकारियों की स्थापना.**—बोर्ड, परिनियमों द्वारा विहित रीति से, विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों का गठन कर सकेगा, जो आवश्यक हों।

54. **समितियों का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—(1) प्रत्येक प्राधिकारी को ऐसी समितियां गठित करने की शक्ति होगी जिसमें, जब तक कि इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे, जो वह उचित समझे।

(2) प्रत्येक प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, उसकी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जो वह उचित समझे, उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा गठित किसी समिति को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

55. **प्राधिकारियों की सदस्यता के संबंध में उपबंध.**—(1) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य है, ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, यदि उसकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व वह उस अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसके द्वारा उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था, का सदस्य नहीं रहता है या नहीं रहती है।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति, उसके द्वारा धारित पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बनता है तो वह तत्काल ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं रहेगा या नहीं

रहेगी, यदि वह उसकी सदस्यता की अवधि समाप्त होने से पूर्व ऐसा पद धारण नहीं करता है या नहीं करती है।

(3) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के किसी पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति, प्राधिकारी या निकाय जिसके द्वारा उसे नामनिर्देशित किया गया था, को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा या दे सकेगी और ऐसा त्यागपत्र, स्वीकार किये जाने पर, स्वीकार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

56. कृत्यों की विधिमान्यता और संरक्षण.—(1) विश्वविद्यालय, संघ और राज्य के अधिनियमों और विधियों से अनुषक्त होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही, इसके सदस्यों में से किसी की रिक्ति होने के कारण या किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा सद्भावनापूर्वक किये गये सभी कार्य या आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम या परिनियमों, और तदधीन बनाये गये आर्डिनेन्सों या विनियमों के अनुसरण में की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा या नुकसानी का दावा नहीं किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम और परिनियमों, और तदधीन बनाये गये आर्डिनेन्सों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

57. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद.—यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या विश्वविद्यालय के अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो यह प्रश्न कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

58. **सदस्यता के लिए निरर्हताएं**—(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह—

- (i) विकृतचित्त हो या मूक-बधिर हो; या
- (ii) दिवालिया या अनुन्मोचित दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या
- (iii) नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो।

(2) इस विषय में विवाद या सन्देह के मामले में कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निरर्हित है, बोर्ड ऐसे मामलों को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

59. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना**—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की, सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र उस व्यक्ति, प्राधिकारी या निकाय द्वारा, जिसने आकस्मिक रिक्त वाले व्यक्ति, जिसका स्थान रिक्त हो गया है, को नामनिर्दिष्ट किया था, भरी जायेंगी और आकस्मिक रिक्ति पर नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उतनी शेष कालावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा जितनी कि वह व्यक्ति, जिसका स्थान उसने भरा है, सदस्य रहता:

परन्तु यदि ऐसी रिक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि की समाप्ति की तारीख से पूर्व छह मास के भीतर हो तो कोई आकस्मिक रिक्ति नहीं भरी जायेगी।

60. **किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की सदस्यता से हटाया जाना**—(1) बोर्ड इस निमित्त किये गये लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और बोर्ड के उपस्थित और बैठक में मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी की सदस्यता से हटा सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, या यदि वह किसी गम्भीर अवचार का दोषी हो और इसी कारण से बोर्ड उस व्यक्ति को

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर कोई उपाधि या डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि वापस ले सकेगा।

(2) बोर्ड इस निमित्त किये गये लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की सदस्यता से भी हटा सकेगा, यदि वह विकृतचित्त या मूक-बधिर हो जाये या उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन किया हो या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए उसे युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति, उसके इस प्रकार पारित किये जाने के तुरन्त पश्चात् संबंधित व्यक्ति को विहित रीति से संसूचित की जायेगी।

61 कुलपति और अन्य अधिकारियों इत्यादि का लोकसेवक होना.— कुलपति, कुल-सचिव, नियंत्रक, संकायाध्यक्ष, निदेशक, अनुसंधान, निदेशक, क्लिनिक, निदेशक, विस्तार शिक्षा और परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य निदेशक और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

62. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करते समय यदि कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके इस प्रकार किये जाने के तुरन्त पश्चात् राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

1. पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय (स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का एक घटक महाविद्यालय) और इसके अधीन इकाइयां या फार्म।
2. पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय (महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नवानिया, बल्लभनगर, उदयपुर का एक घटक महाविद्यालय) और इसके अधीन इकाइयां या फार्म।
3. पशुधन अनुसंधान केन्द्र (महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बल्लभनगर, उदयपुर की एक संघटक इकाई) और इसके अधीन इकाइयां या फार्म।
4. अनुसंधान निदेशालय (पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान), (स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की एक संघटक इकाई), पशुधन अनुसंधान केन्द्र बीछवाल (बीकानेर), नोहर, (हनुमानगढ़) चांदन (जैसलमेर) पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, जयपुर सहित।
5. पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में अवस्थित स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के संपदा कार्यालय की इकाई।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 29, 2010

No. F. 2 (13) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Pashuchikitsa Aur Pashu Vigyan Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 13) :—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND
ANIMAL SCIENCES ACT, 2010**

(Act No. 13 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010]

An

Act

to establish and incorporate a university for the purposes of development of veterinary and animal sciences in the State of Rajasthan by ensuring proper and systematic instruction, training, research and extension in modern systems of veterinary and animal sciences and its allied sciences at its constituent as well as affiliated colleges, institutions or units and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;
- (b) “affiliated college, institution or unit” means a college or an institution or a unit, whether private or public, by whatever name called, affiliated with the University with respect to specific academic programmes;
- (c) “animal” means all domesticated animals and includes birds, fish, wild animals, reptiles and bees;
- (d) “animal technology” means technologies or biotechnologies in respect of veterinary medicine, animal breeding, livestock production and management, nutrition of animals, livestock products, feeds and food;
- (e) “authority” means any authority of the University as specified in this Act;
- (f) “Board” means Board of Management of the University;
- (g) “Board of Studies” means academic affairs committee at faculty level;
- (h) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
- (i) “college”, “institution” or “unit” means any college or institution or unit established or maintained by, or affiliated to, the University providing courses of study or training or providing for prosecution of research or providing extension education in veterinary and animal sciences, for admission to the examinations for degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;
- (j) “Comptroller” means Comptroller of the University responsible for finance management of the University;

- (k) “constituent college, institution or unit” means a college, institution or unit established, managed or maintained by the University and includes the college, institution or unit specified by or under this Act to be the constituent college, institution or unit, as the case may be, of the University;
- (l) “Dean of Faculty” means Chairperson of the Faculty;
- (m) “Dean of Post-graduate Studies” means the Dean appointed to look after the Postgraduate affairs of all faculties of the University;
- (n) “Dean of the College” means head of the constituent college and, unless otherwise specified head of an affiliated college or institution or unit;
- (o) “Dean of Student Welfare” means Dean of Student Welfare, Counselling and Student Placement;
- (p) “Director” means Director of Education, Director of Research, Director of Extension Education, Director of Clinics and other Directors of specific areas, which the University may create from time to time;
- (q) “Extension Education Council” means Extension Education Council of the University;
- (r) “extension education” means the educational activities concerned with the training of veterinarians, Para-veterinary staff, livestock, poultry and fish farmers and breeders, animal owners and other groups concerned with animal health or welfare or improved animal husbandry practices and various phases of scientific technology related to animal production and marketing and includes demonstration to carry the new technology and innovation to livestock farms and farm homes;
- (s) “Faculty” means Faculty of the University;

- (t) “fishery” means the art and science of understanding the biology, commercial exploitation and conservation of aquatic life as well as its surroundings including the constituents of the surroundings;
- (u) “Government” means the State Government of Rajasthan;
- (v) “Governor” means the Governor of Rajasthan;
- (w) “hostel” means a place of residence for students of the University maintained or recognized by the University;
- (x) “officer of the University” means the officer of the University as specified in section 23 or declared as such in the Statutes;
- (y) “Ordinances” means the Ordinances made under this Act;
- (z) “prescribed” means prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act;
- (za) “Pro-Vice-Chancellor” means the Pro-Vice-Chancellor of the University;
- (zb) “Registrar” means the Registrar of the University;
- (zc) “Regulations” means Regulations made under this Act;
- (zd) “Research Council” means the Research Council of the University;
- (ze) “Schedule” means the Schedule of this Act;
- (zf) “Statutes” means the Statutes made under this Act;
- (zg) “student” means the person admitted and enrolled in a constituent or affiliated college or institution or unit of the University for taking a course of study for a degree or other academic programme duly instituted;
- (zh) “teacher” means a person, known by any rank, appointed or recognized by the University or

affiliated college or institution or unit for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research or extension education programmes and includes any other person declared by the Statutes to be a teacher;

- (zi) “University” means the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences established under this Act;
- (zj) “University teacher” means a person not below the rank of Assistant Professor appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting or guiding research or extension education programmes, and includes any other person declared by the Statutes to be a University teacher;
- (zk) “veterinary and animal sciences” includes all the disciplines of veterinary, animal sciences and animal husbandry including poultry and its allied sciences, e.g., fisheries sciences, sciences of animal kingdom, faunal, wild animals, silkworm, bees etc., including their Natural Resource Management, Production and Protection, Dairy Science and Livestock Food Technology, Agriculture Engineering and Technology pertaining to animal component, Animal Business Management, Basic Sciences and Humanities in relation to veterinary and animal sciences, and any other subject deemed to be related to veterinary and animal sciences;
- (zl) “Veterinary Council of India” means the Veterinary Council of India constituted under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984); and
- (zm) “Vice-Chancellor” means the Vice-Chancellor of the University.

CHAPTER II*The University***3. Establishment and incorporation of the University.-**

(1) There shall be established in the State of Rajasthan, a University by the name of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences.

(2) The University shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Pro-Vice-Chancellor, a Board of Management, an Academic Council, the Research Council, an Extension Education Council and other authorities and officers as specified in this Act or the Statutes.

(3) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its corporate name.

(4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may have become vested in or have been acquired by it for the purpose of the University, and to borrow money from the Central Government, State Government or any other sources approved by the Central or the State Government and it may enter into a contract and do all other things necessary for the purposes of this Act.

(5) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

(6) The Headquarters of the University shall be at Bikaner.

4. Jurisdiction.- (1) The territorial jurisdiction of the University shall, for the purpose of teaching, research and extension in the field of veterinary and animal sciences, be the whole of the State of Rajasthan.

(2) All colleges, research stations, extension centres and other institutions or units functioning under the direct control or supervision of the University, be the constituent units of the University under its complete management and control.

(3) The University may collaborate or enter into memorandum of understanding for the purpose of furthering education, research and extension in the field of veterinary and animal sciences with any governmental or non-governmental agency, society, trust, body within or outside the country, and may provide and receive funds for this purpose.

5. Objectives of the University.-The following shall be the objectives of the University, namely:-

- (i) making provision for imparting education towards development of quality human resource, in different branches of study in veterinary and animal sciences;
- (ii) furthering the advancement of learning and conducting of research;
- (iii) undertaking extension education;
- (iv) promoting partnership and linkages with national and international educational institutions;
- (v) liaising and establishing vital linkages with the concerned line departments working in the fields of animal husbandry, fisheries and dairy development, animal technology in the State, by whatever name called, governed by the Government of Rajasthan as well as the Union Government;
- (vi) liaising with National and International Research Institutes, specialized in the field of veterinary, animal, dairy and fishery sciences and animal technology with a view to keep abreast of the latest technology; and

(vii) such other objectives as the University may from time to time determine.

6. Admission to the University.-(1) The University shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations, be open to all persons.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-

- (a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard; or
- (b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree, diploma or other academic distinction; or
- (c) to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interests or discipline of the University or the rights and privileges of other students and employees; or
- (d) to admit to any course of study students larger in number than those prescribed.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), reservation of seats in admission for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and women students shall be made in accordance with the provisions of any law for the time being in force or in accordance with the policy of the State Government.

7. Powers and functions of the University.-The University shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to provide for instructions, training and research in veterinary and animal sciences including on self-finance mode;
- (b) to provide for dissemination of the findings of research

- and technical information through extension education programmes;
- (c) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions in veterinary and animal sciences;
 - (d) to institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have pursued and qualified for a prescribed course of study or research or both in the University including part courses or research or both carried out in any other University or recognized institutions for the purpose;
 - (e) to confer honorary degrees or other distinctions as may be prescribed by statutes;
 - (f) to provide lectures, training and instructions for field workers, livestock farmers and other persons not enrolled as regular students of the University;
 - (g) to collaborate in academic, research and extension education programmes with other universities, institutes of Indian Council of Agricultural Research and public or private research and development organizations or institutions;
 - (h) to establish, run and maintain colleges, research stations, Krishi Vigyan Kendra and any other institutions relating to veterinary and animal sciences;
 - (i) to affiliate colleges, institutions or units to the University under conditions prescribed and to withdraw affiliation from colleges, institutions or units;
 - (j) to establish and maintain laboratories, libraries, research stations and institutions and museums for teaching, research and extension education;
 - (k) to institute teaching, research and extension education posts and to appoint persons to such posts;
 - (l) to create administrative and other posts and to appoint persons to such posts;

- (m) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, bursaries, exhibitions, medals and prizes in accordance with the Statutes;
- (n) to establish and maintain hostels, to recognize hostels not maintained by the University and to withdraw recognition therefrom;
- (o) to establish and maintain residential accommodation for the employees of the University;
- (p) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (q) to supervise and control residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and welfare; and
- (r) to do all such acts and things, whether incidental to the powers and functions aforesaid or not, as may be necessary or desirable to further the objects of the University.

8. The Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his or her office, be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them.

(3) The Chancellor may of his or her own motion or on application call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself or herself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein; and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he or she may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his or her representation.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on or assigned to him or her by or under this Act.

9. Visitation.-(1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he or she may direct -

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or
- (b) of any college, institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the administration or finance of the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University

thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed or if the action taken by the University is in the opinion of the Chancellor not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

(8) The Veterinary Council of India, University Grants Commission, All India Council of Technical Education and other such councils or bodies including such bodies like Indian Council of Agricultural Research, Indian Council of Medical Research etc. shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as they may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipments, and of any constituent or affiliated units of the University and may cause an inquiry to be made in the like manner of any matter connected with the University. The University shall furnish such information relating to the administration of the University, as they may require.

(9) The Vice-Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he or she may direct, of the affiliated colleges or institutions or units, its buildings, laboratories and equipments and of any constituent or affiliated units of the University and may cause an inquiry to be made in the like manner of any matter connected with the University.

CHAPTER III*Authorities of the University*

10. Authorities of the University.-The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Board of Management;
- (ii) the Academic Council;
- (iii) the Faculties;
- (iv) the Board of Studies;
- (v) the Research Council;
- (vi) the Extension Education Council;
- (vii) the Planning Board;
- (viii) the Finance Committee; and
- (ix) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

11. The Board of Management.- (1) The Chancellor shall, as soon as may be after the first Vice-Chancellor is appointed, constitute the Board of Management.

(2) The Board shall consist of the following members, namely: -

Class-I: *Ex-officio* Members

- (a) the Vice-Chancellor-Chair person;
- (b) the Secretary to the Government in-charge of the Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Department;
- (c) the Secretary to the Government in-charge of the Finance Department;
- (d) the Managing Director of Rajasthan Co-operative Dairy Federation
- (e) the Director of Animal Husbandry;
- (f) the Director of Fisheries;
- (g) the Registrar;

Class-II: Other Members

- (h) two scientist, (not below the rank of Professor) having special knowledge or practical experience in research, teaching and extension education in the field of veterinary and animal sciences, nominated by the Chancellor;
- (i) one livestock farmer nominated by the Government;
- (j) one representative of the industries connected with animal husbandry, Dairy or fisheries nominated by the Government;
- (k) one woman social worker nominated by the Government;
- (l) one nominee of the Veterinary Council of India;
- (m) one eminent educationist from outside the University from the field of veterinary and animal sciences to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (n) one University officer to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (o) one Professor to be nominated by the Vice-Chancellor; and
- (p) one member of the Rajasthan Legislative Assembly nominated by the Government.

Explanation.-For the purpose of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in-charge of a department.

(3) In case the member specified in clause (b) of sub-section (2) is unable to attend the meetings of the Board, for any reason, he or she may depute any officer of his or her department not below the rank of Deputy Secretary to the Government to represent him or her.

(4) In case the member specified in clause (c) of sub-section (2) is unable to attend the meetings of the Board, for any

reason, he or she may depute the Divisional Commissioner, Bikaner to represent him or her.

(5) The term of office of the members of the Board, other than the *ex-officio* members, shall be three years.

(6) The members of the Board shall not be entitled to receive any remuneration from the University except such daily and travelling allowances as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this sub-section shall preclude any member from drawing his or her normal emoluments to which he or she is entitled by virtue of other office he or she holds.

12. Powers of the Board.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Board shall be the Chief Executive Body of the University and shall manage and supervise the properties and activities of the University and shall be responsible for the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for in this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board shall have the following powers, namely:-

- (a) to make, amend or repeal the Statutes, Ordinances and Regulations;
- (b) to consider and review the financial requirements of the University and approve the annual financial estimates of the University;
- (c) to provide for the administration of any funds placed at the disposal of the University;
- (d) to arrange for the investment and withdrawal of funds of the University;
- (e) to borrow money for the purposes of the University, with the approval of the Government, on the security of the property of the University and to make suitable arrangements for its re-payment;

- (f) to hold, control and administer the properties of the University;
- (g) to determine the form, provide for the custody, and regulate the use, of the common seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as it may consider necessary, and specify the terms of reference thereof subject to the provisions of this Act;
- (i) to determine and regulate all questions of policy relating to the University in accordance with the provisions of this Act;
- (j) to make financial provision for the instruction, teaching, research, advancement and dissemination of knowledge in such branches of learning and courses of study as may be determined by the Academic Council;
- (k) to provide for the establishment and maintenance of colleges, hostels, laboratories, experimental and institutional livestock farms and other facilities necessary for carrying out the purposes of this Act;
- (l) to provide for the institution and conferment of degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (m) to provide for the institution, maintenance and award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, exhibitions, medals and prizes;
- (n) to accept, on behalf of the University, trust, bequest, donation and transfer of any movable or immovable property made to it;
- (o) to enter into contract or memorandum of understanding on behalf of the University;
- (p) to create teaching, research and extension education posts; and
- (q) to exercise such other powers, not inconsistent with

the provisions of this Act or the Statutes, as may be necessary, for carrying out the purposes of this Act.

13. Meetings of the Board.- (1) The Board shall meet at such times and places and shall, subject to the provisions of subsections (2) and (3), observe such rules of procedure in regard to transaction of business at its meetings including the quorum at meetings as may be prescribed:

Provided that the Board shall meet at least once in every three months.

(2) The Vice-Chancellor or in his or her absence any member chosen by the members present shall preside at a meeting of the Board.

(3) All questions at any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in the case of an equality of votes the Vice-Chancellor or the member presiding, as the case may be, shall have and exercise a second or casting vote.

(4)(a) The Board may, for purposes of consultation, invite any person having special knowledge or practical experience in any subject under consideration to attend any meeting. Such person may speak, and otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled to vote.

(b) The person so invited shall be entitled to such daily and travelling allowances as admissible to any member of the Board.

14. The Academic Council.-The Academic Council shall be the academic authority of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, have the control and general regulation of teaching and examination in the University and shall be responsible for the maintenance of the standards thereof.

15. Constitution of Academic Council.-(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

Class-I: Ex-officio Members

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Secretary to the Government in-charge of the Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Department;
- (c) the Managing Director of Rajasthan Co-operative Dairy Federation;
- (d) the Director of Animal Husbandry;
- (e) the Director of Fisheries;
- (f) the Dean of each college;
- (g) the Dean of each Faculty;
- (h) the Director of Research;
- (i) the Director of Clinics;
- (j) the Director of Extension Education;
- (k) other Directors as specified in Statutes;
- (l) the Registrar;

Class-II: Other Members

- (l) ten members from amongst the heads of departments to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis; and
- (m) three persons having special knowledge or practical experience in different aspects of veterinary and animal sciences to be nominated by the Vice-Chancellor.

Explanation.-For the purpose of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is in charge of a department.

(2) The term of office of the members of the Academic council, other than the *ex-officio* members, shall be three years.

(3) The members of the Academic Council shall not be entitled to receive any remuneration from the University except such daily and travelling allowances as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this sub-section shall preclude any member from drawing his or her normal emoluments to which he or she is entitled by virtue of other office he or she holds.

16. Powers and functions of Academic Council.-The following shall be the powers and functions of the Academic Council, namely:-

- (a) to exercise general control on teaching and other educational programmes and maintain and promote the standards thereof;
- (b) to make, amend or repeal regulations;
- (c) to propose draft to the Board for making, amending or repealing Ordinances;
- (d) to advise the Board on all academic matters including the control and management of libraries;
- (e) to make recommendation to the Board for the institution of Professorship, Associate Professorship, Assistant Professorship and other teaching, research and extension education posts and in regard to the duties thereof;
- (f) to formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of departments of teaching, research and extension education;
- (g) to make recommendation to the Board regarding post-graduate teaching, research and extension education;
- (h) to make recommendation to the Board regarding the qualifications to be prescribed for teaching, research and extension education posts in the University;
- (i) to make recommendation to the Board for the conferment of honorary degrees or other distinctions; and

- (j) to exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes.

17. The Faculties.-(1) The University shall include Faculties of veterinary and animal sciences, Basic Science and such other Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching with such assignment of subjects of study as may be prescribed and each department shall have a Head of Department who shall be responsible to the Dean for the proper organization and working of that department.

(3) The constitution and functions of the Faculties shall, in all other respects, be such as may be prescribed.

18. The Board of studies.- (1) Each faculty shall have Board of Studies consisting of the following members:-

- (i) the Dean of Faculty-Chairperson;
- (ii) the Deans of the constituent and affiliated colleges of the Faculty;
- (iii) four Principals of affiliated Animal Husbandry Diploma Institutions;
- (iv) all Heads of the Departments-cum-Chairperson of Committees of Courses alongwith conveners of the Committees of Courses of the concerned Faculty;
- (v) one senior Faculty member from each Department nominated by the Dean of Faculty; and
- (vi) two external experts nominated by the Dean of Faculty and approved by the Academic Council for a term of two years.

(2) The senior most Head of the Department shall be the Member- Secretary of the Board of Studies.

(3) The functions of the Board of Studies shall be as follows:-

- (i) to review teaching programmes and suggest improvement thereof;
- (ii) to consider the recommendations of the Committee of Courses and Curricula or similar body of department or faculty;
- (iii) to submit proceedings of the meetings of the Board of Studies to the Academic Council for approval; and
- (iv) to perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or Vice-Chancellor.

19. The Research Council.– (1) There shall be a Research Council consisting of the following members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor – Chairperson;
- (ii) the Managing Director of Rajasthan Co-operative Dairy Federation;
- (iii) the Director of Animal Husbandry;
- (iv) the Director of Fisheries;
- (v) the Director of Extension Education;
- (vi) all Deans of the constituent colleges;
- (vii) all Directors of the University;
- (viii) all Heads of Departments;
- (ix) all In-charges, by whatever name called, of Livestock Research Stations;
- (x) all Principal Investigators, by whatever name called, of research schemes and projects; and
- (xi) the Research Council may co-opt as members not more than four persons including two progressive livestock and fisheries farmer for such period and in such manner as may be prescribed so as to secure adequate representation of different sectors of veterinary and animal sciences and allied fields.

(2) The Director of Research shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the Research Council.

(3) The Research Council shall consider and make recommendations in respect of-

- (i) research programmes and projects undertaken or to be undertaken by the various University scientists in the field of veterinary and animal sciences and their monitoring and evaluation;
- (ii) physical, fiscal and administrative facilities required for implementing research projects;
- (iii) orienting research to meet farmers and other stake holder's needs;
- (iv) fostering and coordinating Public-Private Partnership in research; and
- (v) any other matter pertaining to research programmes which may be referred to by the Vice-Chancellor or the Board or any other authority of the University.

20. The Extension Education Council.— (1) There shall be an Extension Education Council consisting of the following members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor - Chairperson;
- (ii) the Managing Director of Rajasthan Co-operative Dairy Federation;
- (iii) the Director of Animal Husbandry;
- (iv) the Director of Fisheries;
- (v) all Deans of the constituent colleges;
- (vi) all Directors of the University;
- (vii) all Heads of Departments;
- (viii) all In-charges, by whatever name called, of Livestock Research Stations;
- (ix) all In-charges, by whatever name called, of Krishi Vigyan Kendra and Pashu Vigyan Kendra, by

whatever name called, of extension centres, schemes and projects;

- (x) two eminent persons in the field of Extension Education from outside nominated by the Vice-Chancellor;
- (xi) two progressive livestock or fisheries farmers to be nominated by the Vice-Chancellor; and
- (xii) the Vice-Chancellor may co-opt up to two members from related organizations.

(2) The Director of Extension Education shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the Extension Education Council.

(3) The Extension Education Council shall consider and make recommendations in respect of-

- (i) the Extension Education Programmes and projects of the University;
- (ii) co-ordination of Extension Education activities;
- (iii) development of farmers' Education and training and advisory services;
- (iv) evaluation of the functioning of Krishi Vigyan Kendra or Field Trial Centre or such extension centres, by whatever name called; and
- (v) any other matter referred to it by the Vice-Chancellor, Board or any other authority of the University.

21. The Planning Board.- (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall advise generally on the planning and development of the University and keep under review the standard of education and research in the University.

(2) The Planning Board shall consist of the following members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the *ex-officio* Chairperson of the Planning Board; and
- (ii) not more than eight persons of high academic standing nominated by the Vice-Chancellor.

(3) The term of office of the nominated members of the Planning Board shall be three years.

(4) The Planning Board shall, in addition to all other powers vested in it by this Act, have the right to advise the Board of Management, Academic Council, Research Council and Extension Education Council on any academic, research and extension matter.

22. The Finance Committee.-(1) There shall be a Finance Committee consisting of the following, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Secretary to the Government in-charge of the Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Department;
- (c) the Secretary to the Government in-charge of the Finance Department;
- (d) one member chosen by the Board from amongst its non-official members; and
- (e) the Comptroller.

Explanation.-For the purpose of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he or she is incharge of a department.

(2) In case the member specified in clause (b) of sub-section (1) is unable to attend the meetings of the Finance Committee, for any reason, he or she may depute any officer of his or her department not below the rank of Deputy Secretary to Government to represent him or her.

(3) In case the member specified in clause (c) of sub-section (1) is unable to attend the meetings of the Finance Committee, for any reason, he or she may depute the Divisional Commissioner, Bikaner to represent him or her.

(4) The Finance Committee shall-

- (a) examine the annual accounts and the annual financial estimates of the University and advise the Board thereon;
- (b) review the financial position of the University from time to time;
- (c) make recommendation to the Board on every proposal involving expenditure for which no provision has been made in the annual financial estimates or which involves expenditure in excess of the amount provided for in the annual financial estimates;
- (d) make recommendation to the Board on all matters relating to the finances of the University; and
- (e) perform such other functions as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER IV

Officers of the University

23. Officers of the University.-The University shall consist of the following officers, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Pro-Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Comptroller;
- (v) the Deans;
- (vi) the Director of Research;
- (vii) the Director of Clinics;
- (viii) the Director of Extension Education; and
- (ix) such other directors as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

24. The Vice-Chancellor.-(1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed by the

Chancellor on the advise of the State Government from a panel of eminent educationists in veterinary and animal sciences recommended by the Search Committee referred to in sub-section (2) and such panel shall not contain the name of any member of the said Committee.

(2) For the purpose of sub-section (1), the Search Committee shall consist of four persons of whom one shall be nominated by the Chancellor, one shall be nominated by the Board, one shall be nominated by the Veterinary Council of India and one shall be nominated by the Government:

Provided that one of these members shall be nominated by the Chancellor to act as convener and all the members of the Search Committee must have basic veterinary qualification as provided in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984):

Provided further that the persons so nominated shall not be a member of any of the authorities of the University.

(3) A person who has attained academic excellence and demonstrated leadership qualities in veterinary and animal sciences education and has the following minimum qualifications shall be eligible for the post of Vice-Chancellor:-

- (a) a recognized veterinary qualification as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984);
- (b) minimum six years of experience on the post of Professor or equivalent in any teaching or research or extension system of veterinary and animal sciences of any University or research centre etc. of the Country, out of which at least three years of experience should be as Chairperson or Dean of faculty of any University or Dean or Principal of any college in the Country.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible to be appointed for a second term but thereafter he or she shall not be eligible to hold office of the Vice-Chancellor:

Provided that-

- (a) the Chancellor may, by order, direct that a Vice-Chancellor, whose term of office has expired, shall continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified in the order; and
- (b) the Vice-Chancellor may, by writing under his or her hand addressed to the Chancellor and after giving one month notice, resign his or her office:

Provided further that a person appointed as Vice-Chancellor shall retire from his or her office if, during the term of his or her office or any extension thereof, he or she completes the age of sixty five years.

(5) The Vice-Chancellor shall not be removed from his or her office except by order of the Chancellor passed on the ground of misbehaviour or incapacity or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, after due inquiry by such person who is or has been a Judge of High Court to be nominated by the Chancellor in which the Vice-Chancellor, shall have an opportunity of making his or her representation.

(6) Where a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or expiry of the term or on any other ground, it shall be filled by the Chancellor in the manner specified in sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement may be made by the Chancellor under and in accordance with sub-section (7).

(7) In the case of a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of illness, absence, suspension or otherwise, or when a stop-gap arrangement is necessary under subsection (6), the Chancellor may, on advice of the Government, make such arrangements for carrying on the functions of the Vice-Chancellor as he or she deems fit.

(8) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and his or her emolument and other terms and conditions of service shall be as follows:-

- (i) the Vice-Chancellor shall be entitled to such salary as may be prescribed by Statutes;
- (ii) the Vice-Chancellor shall be entitled to free furnished official residence; and
- (iii) the Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as are sanctioned or granted from time to time by the Board with the approval of the Chancellor or prescribed by Statutes.

(9) The official residence of the Vice-Chancellor shall be maintained from the funds of the University.

(10) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(11) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(12) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(13) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(14) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Government and the provisions of sub-sections (3) to (13) shall apply to the appointment made under this sub-section.

25. Powers and duties of Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall in the absence of the Chancellor, preside at convocation of the University and confer degrees, diplomas or other academic distinctions upon persons entitled to receive them. He or she shall be a member *ex-officio* and Chairperson of the Board, the Academic Council, the Planning Board, and the Finance Committee and shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority of the University but shall not be entitled to vote thereat, unless he or she is a member of the authority concerned.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board and the Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure that the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations are observed and carried out and he or she may exercise all powers necessary for this purpose.

(5) The Vice-Chancellor shall have power to take action on any matter and shall, by order, take such action as he or she may deem necessary but shall, as soon as may be, thereafter report the action taken to the officer or authority or body who or which would have ordinarily dealt with the matter:

Provided that no such order shall be passed unless the person likely to be affected has been given a reasonable opportunity of being heard.

(6) Any person aggrieved by any order of the Vice-Chancellor under sub-section (5) may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such order is communicated to him or her and the Vice-Chancellor shall give effect to the order passed by the Board on such appeal.

(7) The Vice-Chancellor shall be responsible for the co-ordination and integration of teaching, research and extension education and curriculum development.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

26. The Pro-Vice-Chancellor.- Pro-Vice-Chancellor of the University shall be appointed in such manner, for such period, on such terms and conditions and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

27. The Registrar.- (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He or she shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from one of its officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale) or Indian Administrative Service to be the Registrar:

Provided that the Board shall have right to relieve an officer posted under this sub-section for the reasons to be recorded in writing and request the Government to post another officer.

(3) The Registrar shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years:

Provided that a person appointed as Registrar shall retire from office, if, during the term of his or her office, he or she completes the age of superannuation.

(4) The emoluments and other terms and conditions of the services of the Registrar shall be such as may be prescribed in the Statutes.

(5) When the office of the Registrar is vacant, or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other reason, unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his or her office, the powers, functions and duties of the office of the Registrar shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary to the Board and the Academic Council.

(7) It shall be the duty of the Registrar:-

- (a) to be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his or her charge; and
- (b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties, the Board of Studies, the Board of Examinations and the Planning Board and of any committee appointed by the authorities of the University.

- (8) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and record in the proceedings to the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he or she had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, the order or as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.
- (ii) After examining the note of dissent reported under sub-clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him, may make such interim or final order as he or she thinks fit, which shall be binding on the University:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Board or, as the case may be, Vice-Chancellor may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(9) The Registrar shall exercise such powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be directed by the Vice-Chancellor or assigned by the Board.

28. The Comptroller.- (1) The Comptroller shall be a whole-time salaried officer of the University to be posted by the Government from its officers of the Rajasthan Accounts Service of the rank of selection scale and the above:

Provided that the Board may, for the reasons to be recorded in writing, relieve the Comptroller at any time and request the Government to post another officer.

(2) The Comptroller shall hold office for a period of three years:

Provided that a person appointed as Comptroller shall retire from office if, during the term of his or her office, he or she completes the age of superannuation.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed.

(4) When the office of the Comptroller is vacant, or when the Comptroller is, by reason of illness or absence or any other cause unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his or her office, the powers, functions and duties of the office of the Comptroller shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Comptroller shall be the *ex-officio* Secretary to the Finance Committee.

(6) The Comptroller shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
- (b) to manage the property and investments of the University including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Board; and

- (c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him or her by the Board, or as may be prescribed:

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the previous approval of the Board.

(7) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall,-

- (a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance Committee and the Board;
- (c) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;
- (d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutions maintained by the University;
- (f) bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorised expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault; and
- (g) call from any office, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns as he or she may consider necessary for the

exercise of his or her powers, performance of his or her functions or discharge of his or her duties.

29. The Deans.- (1) Each constituent college shall have a Dean, who shall be a whole-time salaried officer of the University, appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall have a Dean of Faculty as its Chairperson, who shall be designated out of all the Deans of that Faculty on the basis of seniority.

(3) The University may also appoint a Dean of Post-Graduate Studies, and other such Deans, as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Dean shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

30. The Directors.- (1) The Director of Research, the Director of Clinics, the Director of Extension Education and other Directors as per Statutes shall be whole-time salaried officers of the University appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Director of Research, the Director of Clinics, the Director of Extension Education and such other Directors shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER V

Education, Research and Extension Education Organizations

31. Veterinary and Animal Sciences Education.- (1) Subject to provisions of this Act, education in the University shall include Diploma, Bachelor's, Master's and Doctoral degree programmes and short-term diploma or certificate courses in the

disciplines of veterinary and animal sciences and allied sciences as prescribed.

(2) The educational programmes would maintain congruence with the State and national policies.

(3) The University shall put in place initiatives for e-learning, distributed or distance education, Information and Communication Technology-enabled knowledge sharing etc..

(4) Programmes of veterinary and animal sciences education should aim at producing competent and skilled professionals.

(5) The University shall put in place initiatives for continuing veterinary education and training programmes for veterinarians and Para-veterinarians. Training and certificate courses shall also be available for rural educated youth, farmers, farm women and animal owners of weaker sections of the society.

32. Veterinary and Animal Sciences Research Organization.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the University shall establish a Veterinary and Animal Sciences Research Organization for doing basic research on problems primarily relating to veterinary, animal husbandry, fisheries and allied subjects for the purpose of aiding the development of animal husbandry and fisheries and shall for this purpose establish as many veterinary, livestock and fisheries research stations as may be necessary in co-operation with the Department of Animal Husbandry, the Department of Fisheries and the Research Stations under the control of the Government.

(2) The Veterinary and Animal Sciences Research Organization shall be developed under the guidance of the Director of Research.

33. Veterinary and Animal Sciences Extension Education Organization. - (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the University shall establish a Veterinary and Animal Sciences Extension Education Organization which

shall make available the information obtained on the basis of research to students, extension workers, livestock farmers, fish farmers and fishermen and shall conduct demonstration and training programmes for the benefit of such persons in co-operation with the government departments concerned.

(2) The University shall undertake such veterinary and animal sciences extension activities as are necessary-

- (a) to inform and demonstrate to the livestock farmers, fish farmers and fishermen the findings and developments of research on improved practices essential to uplift the conditions of the rural living;
- (b) to increase animal production with special emphasis on food productions and utilization;
- (c) to multiply the new breeds and improved strains evolved or introduced by the Veterinary and Animal Sciences Research Organization; and
- (d) to establish veterinary clinics to inform and demonstrate to field veterinarians the newer technology in the field of clinical subjects as well as to train the students in rural health management of livestock.

(3) The Veterinary and Animal Sciences Extension Organization shall be developed under the guidance of the Director of Extension Education.

34. Integration of teaching, research and extension.- (1)

In consultation with the appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full integration of teaching, research and extension activities of the University.

(2) Every faculty member borne on teaching cadre shall devote some time not exceeding thirty percent and as decided by the Vice-Chancellor in consultation with the appropriate officers of the University in an academic year for undertaking research or extension or both besides teaching. Likewise a faculty member borne on research or extension shall spend some time in teaching.

(3) All teaching, research and extension staff located in the University shall be under the administrative control of respective University officers.

(4) The University shall develop its programme of research and extension keeping in view the regional needs of the State and provide the appropriate technological back to the Government and other stakeholders.

CHAPTER VI

Funds, Accounts and Audit

35. General fund.-The University shall have a general fund to which shall be credited-

- (a) its income from fees, endowments, grants, donations and gifts, if any;
- (b) any contribution or grant made by the Central Government, State Government, the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act No. 3 of 1956) or like authority or any local authority or any corporation owned or controlled by such Government; and other receipts.

36. Other funds.- (1) The University may have such other funds as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each college shall be allowed to maintain its funds, as college funds, accrued out of student's fees and other such incomes not required to be deposited to the University's accounts. The

Dean shall be authorized to utilize these funds for the development of the college, students' and staff amenities and their activities including teaching, research, extension and co-curricular.

37. Management of funds.-The funds and all moneys of the University shall be managed in such manner as may be prescribed by the Statutes.

38. Control of the State Government.-Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new post of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits of its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teacher, officer or other employees;
- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision regarding affiliated colleges resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.-The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may in

long term likely to cause financial implications to the State Government.

39. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.-If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

40. Annual Accounts.- (1) The annual accounts prepared by the Comptroller shall be submitted to such examination and audit as the Government may direct and a copy of the annual accounts and audit report shall be submitted to the Government.

(2) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the Government on the audit report.

(3) The Government shall cause the annual accounts and the audit report to be laid before the House of the State Legislature together with their comments.

(4) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(5) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval at its annual meeting and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the comptroller who shall take action in accordance therewith.

41. Provident fund, pension and insurance.-(1) The University shall for the benefit of its officers and employees, create provident fund or pension fund or formulate an insurance scheme in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) The provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925), shall apply to a fund or an insurance scheme as if it were a Government fund or scheme and the University shall contribute to or invest in such fund or scheme.

(3) Where a person in Government employment is transferred on deputation or otherwise to the University, the terms and conditions relating to the fund and the scheme referred to in sub-section (1) shall be such as may be agreed to between the Government and the University.

CHAPTER VII

Statutes, Ordinances and Regulations

42. Statutes.-Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall, in particular, provide for following, namely :-

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the appointment, nomination and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) creation, composition and functions of other authority or committees, necessary or desirable for improving the academic life of the University;
- (d) powers, functions, duties and terms and conditions of services of the officers;

- (e) classification, qualification and terms and conditions of services and duties of teachers and non-teaching staff of the University;
- (f) establishment, amalgamation, sub-divisions or abolition of Faculties, Divisions, Department, Research Stations, Centres or other units of the University;
- (g) establishment of pension and insurance schemes for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and the rules, terms and conditions of such schemes;
- (h) holding of convocations to confer degrees and diplomas;
- (i) conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions;
- (j) conditions of service, remunerations and allowances including travelling and daily allowances to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University;
- (k) management of Colleges, Centres, Divisions, Departments, Regional Stations or other institutions founded or maintained by the University;
- (l) constitution of Selection Committee for appointment of staff other than teachers and officers;
- (m) the institution of fellowships, scholarships, stipend, bursaries, medals and prizes and the conditions of award thereof;
- (n) the moneys to form part of and to be paid into the University fund and the matters to which the fund may be applied and appropriated; and
- (o) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed otherwise than by Ordinances or Regulations.

43. Statutes how made.- (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter provided.

(2) The Board may take in to consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer or authority of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his or her assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statute passed by the Board shall be valid or shall come into force until assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either *suo motu* or on the advice of the State Government, may, direct the University to make provisions in the Statute in respect of any matter specified by him and if the Board fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

44. Ordinances.-Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (b) the admission of the students to the University and their enrolment and continuance as such and the conditions and procedures for dropping students from enrolment;

- (c) the fees which may be charged by the University;
- (d) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other distinctions;
- (e) the conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas or other courses and examinations of the University and their eligibility for the award of degrees and diploma;
- (f) the conditions for conferment of degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (g) the maintenance of discipline among the students of the University;
- (h) the special arrangements, if any, which may be made for residence, discipline and teaching of women students;
- (i) the conditions of residence of students of the University and the levy of fees for residence in hostels;
- (j) the recognition and management of hostels not maintained by the University; and
- (k) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

45. Ordinances how made.- (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matters shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall

be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board, within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he or she shall, as soon as possible, inform the Board of his or her objection to it, he or she may, after receiving the comments of the Board either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his or her decision shall be final.

46. Regulations.- (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, every authority of the University may make Regulations –

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by regulations ;and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for giving notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or annulment thereof by any authority of the University.

CHAPTER VIII

Miscellaneous

47. Transitory powers of the first Vice- Chancellor.- (1) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to make arrangements for constituting the Board of Management, the

Academic Council and such other authorities of the University as specified in this Act within six months from the commencement of this Act or such longer period, not exceeding one year, as the Government may, by notification, allow.

(2) The first Vice-Chancellor shall, in consultation with the Government, make such rules as may be necessary for the functioning of the University.

(3) The authorities constituted under sub-section (1) shall commence to exercise their powers and perform their functions on such date or dates as the Government may, by notification, specify.

(4) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor to make such Statutes, Ordinances and Regulations as may be necessary with the approval of the Chancellor and submit them to the respective authorities, competent to deal with them for their disposal. Such Statutes, Ordinances and Regulations when framed shall be published in the Official Gazette.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations, until such time an authority is duly constituted, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and functions of such authority under this Act.

48. Power to transfer of persons and properties from other Universities.-The Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time, make such orders, as are deemed necessary for the transfer of-

- (a) any officer, teacher, employee or servant; or
- (b) any movable or immovable property or any rights or interests therein; or
- (c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised ; or

- (d) any dues, liabilities or obligations incurred or lawfully subsisting in favour of or against the University; or
- (e) any will, deed or other document containing any bequest, gift or trust –

from any other University of which he or she is the Chancellor to the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined in the order.

49. Power to transfer of colleges, institutions and units.-

(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the colleges, institutions, hostels, offices, research stations, extension centres and any other body, agency or unit, as may be specified by notification in the Official Gazette may, at any time, be disaffiliated or, as the case may be, transferred by the Government from any other University in the State and affiliated or transferred to or vested in the University constituted under this Act on such terms and conditions as may be determined by the Government.

(2) The control and management of any college, institution, hostel, office, research station, extension centre and any other body, agency or unit affiliated or transferred under sub-section (1) shall stand vested in the University from the date of the publication of the notification under sub-section (1).

(3) The students of the college or institutions or the persons, engaged in research station or extension centre or in any other body, agency or unit so affiliated or transferred to the University shall be permitted to complete their course, research or programme and the University shall make arrangements therefor.

(4) A person employed as a teacher or an employee in any college, institution, research station, extension centre or any other body, agency or unit referred to in sub-section (1) shall, from the date of notification issued under the said sub-section, be deemed to

have become the teacher or, as the case may be, the employee of the University on the same terms and conditions.

50. Transfer of certain colleges, institutions, research stations, extension centres and units.- Notwithstanding anything contained in sections 48 and 49 and any other law for the time being in force, the colleges, institutions, research stations, extension centres and units specified in Schedule shall stand transferred to and vested in the University constituted under this Act on and from the commencement of this Act alongwith all their movable or immovable property and rights and interest in such property and the officers, employees and servants posted and working immediately before such commencement in the said colleges, institutions, research stations, extension centres and units shall become the officers, employees or, as the case may be, servants of the University with effect from the date of such commencement on the same terms and conditions.

51. Power to obtain information.- Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Government may, by order in writing, call for any information from the University on any matter relating to the affairs of the University and, the University shall, if such information is available with it, furnish the Government with such information within a reasonable period:

Provided that in the case of information which the University considers confidential, the University may place the same before the Chancellor.

52. Annual report.-(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and submitted to the Board at least one month before the annual meeting at which it is to be considered.

(2) The Board shall, after considering the annual report, forward a copy thereof to the Government.

(3) On receipt of a copy of the annual report, the Government shall cause a copy of such report together with their comments thereon to be laid before the House of the State Legislature.

53. Constitution of other authorities.-The Board may constitute such other authorities of the University as may be necessary in the manner prescribed by the Statutes.

54. Constitution of Committees and delegation of powers.- (1) Every authority shall have the power to appoint Committees which may unless otherwise provided in this Act or Statutes consist of the members of the authority and such other persons as it may deem fit.

(2) Every authority shall have power to delegate any Committee constituted by it under sub-section (1) such of its powers as it may think fit, subject to such terms and restriction, as it may impose.

55. Provisions in relation to membership of authorities.- (1) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another authority or body, whether of the University or not, shall cease to be a member of such authority if before the expiry of the term of his or her membership he or she ceases to be a member of that other authority or body by which he or she was appointed or nominated.

(2) Whenever any person becomes a member of any authority or body of the University by virtue of the office held by him, he or she shall forthwith cease to be a member of such authority if he or she ceases to hold such office before the expiry of the term of his or her membership.

(3) Any member, other than an *ex-officio* member, of any authority of the University, may resign his or her office by letter addressed to the person, authority or body by whom or which he or

she was nominated and such resignation, upon acceptance, shall take effect from the date of its acceptance.

56. Validity and protection of acts.- (1) The University shall adhere to the Acts and laws of the Union and the State.

(2) No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found to have been not entitled to do so.

(3) Save as otherwise provided in this Act, all the acts done or orders made in good faith by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act and Statutes, and Ordinances or Regulations made thereunder.

(4) No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act and Statutes, and Ordinances or Regulations made thereunder.

57. Disputes as to constitution of University authorities and bodies.- If any question arises whether any person has been duly nominated as, or is entitled to be, a member of any authority of the University or other body of the University, the question shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

58. Disqualification for membership.- (1) No person shall be qualified for nomination as a member of any of the authorities of the University, if he or she –

- (i) is of unsound mind or a deaf-mute; or
- (ii) stands adjudicated as an insolvent or an Undischarged insolvent; or

(iii) has been sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude.

(2) In case of dispute or doubt as to whether a person is disqualified under sub-section (1), the Board shall refer such case to the Chancellor, whose decision shall be final.

59. Filling casual vacancies.-All casual vacancies among the members other than *ex-officio* members of any authority of the University shall be filled, as soon as may be, by the person, authority or body who or which nominated the member whose place has become vacant and the person nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority for the remainder of the term for which the member whose place he or she fills would have been a member:

Provided that no casual vacancy shall be filled, if such vacancy occurs within six months before the date of the expiry of the term of the member of any authority of the University.

60. Removal of any person from membership of any University authorities.- (1) The Board may remove by an order in writing made in this behalf any person from membership of any authority of the University by a resolution passed by a majority of the total membership of the Board and by a majority of not less than two-third of the members of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a criminal court for an offence which in the opinion of the Board involves moral turpitude, or if he or she has been guilty of gross misconduct and for the same reason the Board may withdraw any degree or diploma or other academic distinction conferred on, or granted to, that person by the University.

(2) The Board may also by an order in writing made in this behalf remove any person from the membership of any authority of the University if he or she becomes of unsound mind or deaf-mute or has applied to be adjudicated or has been adjudicated as an insolvent.

(3) No action under this section shall be taken against any person unless he or she has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(4) A copy of every order passed under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall, as soon as may be after it is so passed, be communicated to the person concerned in the manner prescribed.

61. Vice-Chancellor and other officers etc., to be public servants.-The Vice-Chancellor, the Registrar, the Comptroller, the Deans, the Director of Research, the Director of Clinics, the Director of Extension Education and other Directors as specified by the Statutes and other employees of the University shall be deemed, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

62. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

SCHEDULE

1. College of Veterinary and Animal Science (a constituent college of the Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner) and units or farms under it.
2. College of Veterinary and Animal Science, (a constituent college of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Navania, Vallabh Nagar, Udaipur) and units or farms under it.
3. Livestock Research Station (a constituent unit of the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Vallabh Nagar, Udaipur) and units or farms under it.
4. Directorate of Research (Veterinary and Animal Science), (a constituent unit of the Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner) alongwith Livestock Research Stations at Beechhwal (Bikaner), Nohar (Hanumangarh), Chandan (Jaisalmer), Research Centre for Livestock Health and Production, Jaipur.
5. Unit of Estate Office of the Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University located at College of Veterinary and Animal Science, Bikaner.

एस. एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.